सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को विलंबित भुगतान

प्रासंगिक प्रावधान:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को विलंबित भुगतान के प्रावधान शामिल हैं। (धारा 15-24)। विलंबित भुगतानों पर संदर्भ प्राप्त करने/फाइल करने पर विवादों के निपटान के लिए राज्य सरकारें सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) की स्थापना करेंगी। (धारा 20 और 21)।
- उद्यम पंजीकरण में विनिर्माण और सेवा गतिविधि के तहत पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम ही आवेदन करने के पात्र हैं। **एनआईसी कोड 45, 46 और 47 वाले ट्रेडिंग गतिविधि के तहत पंजीकृत एमएसई इन प्रावधानों के लिए पात्र नहीं हैं।**
- जहां कोई खरीदार एमएसई आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान सहमत तिथि पर या उससे पहले और माल/सेवा की स्वीकृति के अधिकतम 45 दिनों के भीतर करने में विफल रहता है, तो वह (खरीदार) आपूर्तिकर्ता को उस राशि पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर मासिक अंतराल के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (धारा 16)
- एमएसई इकाई द्वारा दायर मामले की जांच के बाद संबंधित राज्य का एमएसईएफसी एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित देय राशि के भुगतान के लिए खरीदार इकाई को निर्देश जारी करेगा।
- MSEFC द्वारा किसी भी डिक्री या अवार्ड को रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन पर किसी भी अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता (आपूर्तिकर्ता नहीं) ने उसके पास अवार्ड राशि का 75% जमा नहीं कर दिया हो। (धारा 19)
- एमएसएमई मंत्रालय ने अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यानी एमएसएमई समाधान पोर्टल के संबंधित एमएसईएफसी के समक्ष माल/सेवाओं के खरीदार के खिलाफ आपूर्तिकर्ता एमएसई इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की पहल की है। हालाँकि MSEFC हरियाणा में आवश्यक दस्तावेजों (हरियाणा MSEFC नियम 2021 के अनुसार) के साथ दावा आवेदन की मुद्रित प्रति जमा करना आवश्यक है।

संबंधित दस्तावेज़ और वेबसाइटें:

- एमएसएमई समाधान पोर्टल: https://samadhaan.msme.gov.in
- एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006: https://samadhaan.msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/MSMED2006act.pdf
- हरियाणा MSEFC नियम, 2021: https://msme.haryana.gov.in/haryana-micro-and-small-facilitation-rules-2021
- एचएमएसईएफसी नियम, 2021 के अनुसार फॉर्म I, II और III: http://www.msmedikarnal.gov.in/msefc.aspx
- उद्यम पंजीकरण: https://udyamregistration.gov.in
- हरियाणा उद्यम ज्ञापन: http://harudhyam.edisha.gov.in
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर (कुंजी दर टैब पर क्लिक करें): https://dbie.rbi.org.in

एमएसईएफसी हरियाणा में आवेदन का प्रवाह चार्ट

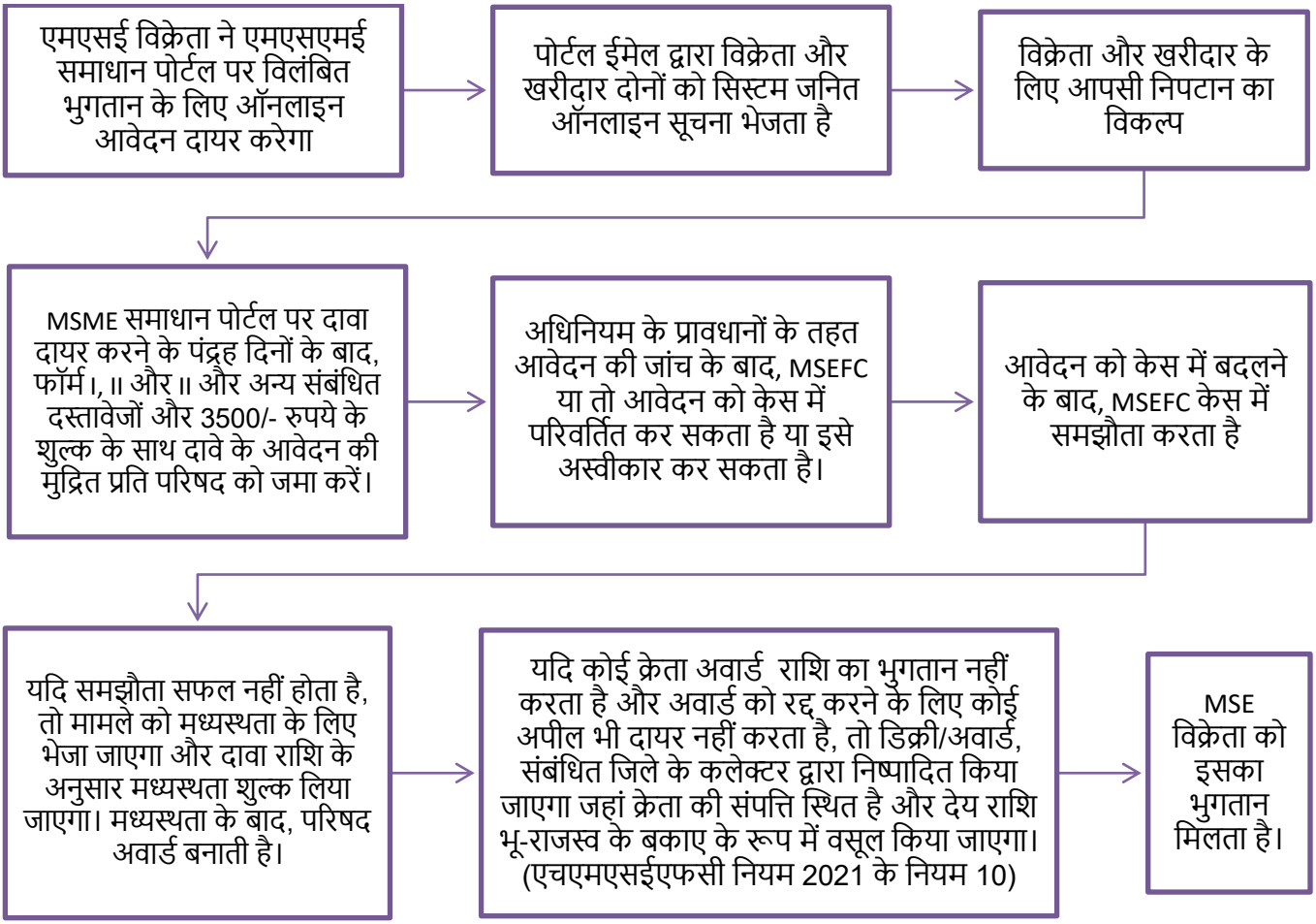

MSEFC हरियाणा को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

- एमएसएमई समाधान पोर्टल पर भरे गए दावे के आवेदन की मुद्रित प्रति;
- एचएमएसईएफसी नियम 2021 के अनुसार फॉर्म I, II और III पूर्ण भरा हुआ;
- उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उद्यम ज्ञापन की फोटोकॉपी;
- खरीद आदेश, चालान, माल रसीद प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) और खरीदार के साथ समझौते (यदि कोई हो) की प्रति। खरीद आदेश मौखिक होने की स्थिति में दावा आवेदन एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए;
- प्रासंगिक वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और खाता बही।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

- दावा आवेदन के सभी अनुलग्नक स्व-सत्यापित होने चाहिए;
- दस्तावेज़ पृष्ठ क्रमांकित और अनुक्रमित होने चाहिए;
- उत्तरदाताओं की संख्या के रूप में आवेदन की कई प्रतियां जमा करें;
- पीड़ित MSE आपूर्तिकर्ता साथ ही साथ दस्तावेज़ों के पूरे सेट के साथ संदर्भ की एक प्रति उस खरीदार या खरीदार को भेजेगा जिसके विरुद्ध संदर्भ दिया गया है।

दस्तावेज़ जमा करने के लिए MSEFC हरियाणा का पता:

अध्यक्ष सह महानिदेशक, एचएमएसईएफसी,
एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा सरकार
सी-3, पहला ब्लॉक, तीसरा तल,
एचएसवीपी कार्यालय परिसर, सेक्टर-6,
पंचकुला, हरियाणा, पिन कोड: 134109
फोन नंबर:- 0172-2580706,
ईमेल आईडी:- hmsefchry2020@gmail.com
वेबसाइट:**https://msme.haryana.gov.in**

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

एमएसएमई- विकास और सुविधा कार्यालय,
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
11-ए, आईडीसी, कुंजपुरा रोड, आईटीआई के पास,
करनाल-132001,
टेली: 0184-2208100 और 104,
ई-मेल: dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
वेब: **http://www.msmedikarnal.gov.in**

अस्वीकरण: *"इस दस्तावेज़ की सामग्री केवल जानकारी के लिए है, किसी संदर्भ या कानूनी उद्देश्य के लिए, कृपया हरियाणा MSEFC नियम, 2021, MSMED अधिनियम, 2006 और अन्य मूल अधिसूचनाएँ देखें"*